आपदा प्रबन्धन

बिजनेस कन्टीन्यूइटी प्लान

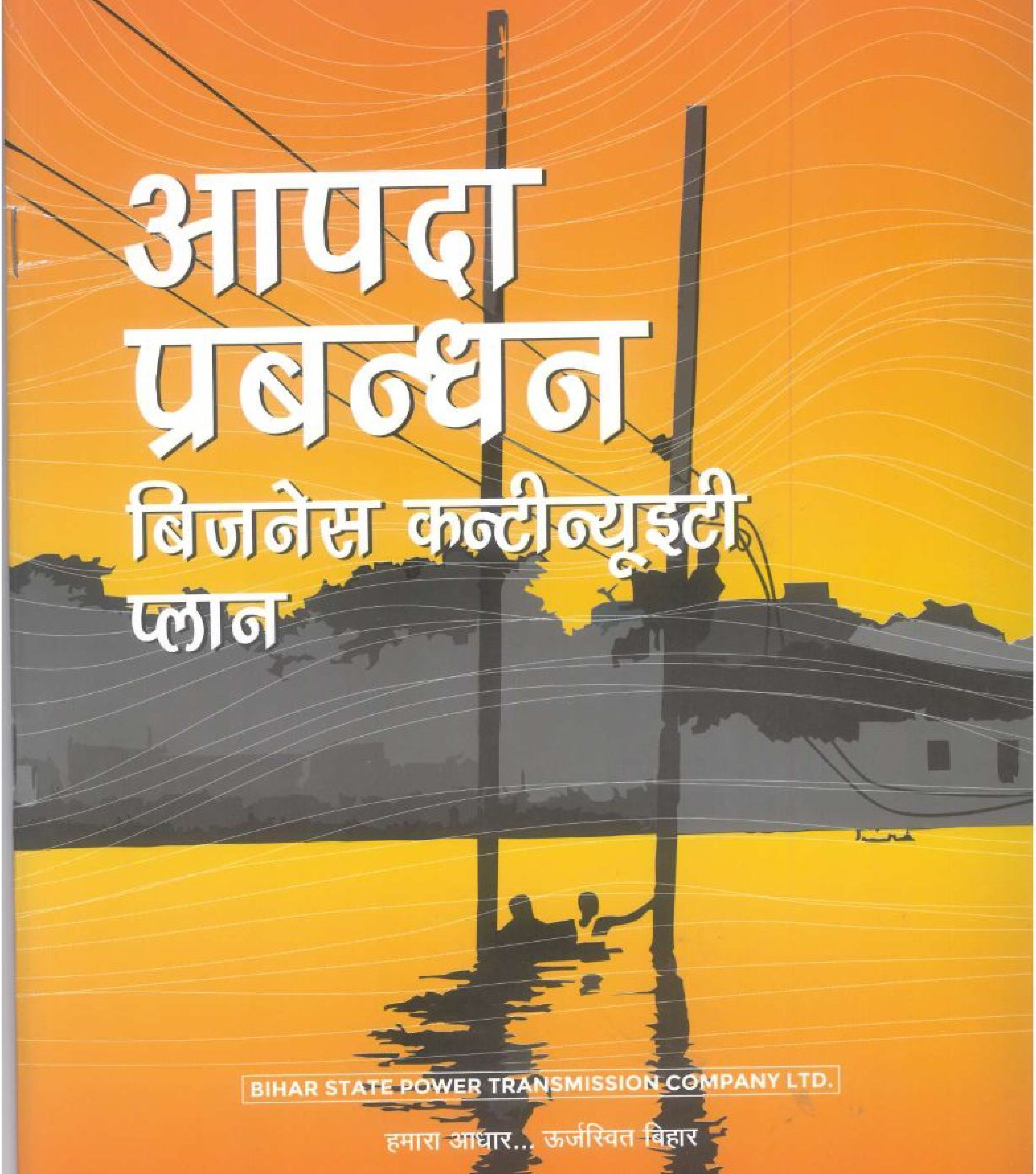

BIHAR STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LTD.

हमारा आधार... ऊर्जस्वित बिहार

बिजनेस कन्टिन्यूइटी मैनेजमेन्ट फ्रेमवर्क

बिजनेस कन्टिन्यूइटी मैनेजमेन्ट के उद्देष्य

व्यवसायिक गतिविधियों का संरक्षण	1. विद्युत नियंत्रण प्रबन्धन 2. विद्युत संचरण संरचना प्रबन्धन 3. सामान्य प्रशासनिक प्रबन्धन

बी.सी.एम का दायरा/कार्यक्षेत्र

शामिल संयत्र, कार्यालय/विभाग	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत सभी आंचलिक कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय प्रखण्ड कार्यालय और ग्रिड उपकेन्द्र

बीएसपीटीसीएल : एक अवलोकन

बिहार सरकार के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाली कार्पोरेट इकाई बीएसपीटीसीएल (बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड) को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद 1 नवम्बर 2012 को कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया था। वर्तमान में कम्पनी, बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी लाइसेंस के तहत राज्य के अन्दर बिजली को पहुंचाने व संचरण का कार्य कर रही है। कम्पनी अपने मुख्यालय विद्युत भवन, पटना से राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कार्यों को भी निर्वहन कर रही है। बी.एस.पी.टी.सी.एल. 132 के.वी. लाईन्स के 11,113 किमी0, 220 के0वी0 लाईन्स के 4,469 कि0मी0 और 400 के0वी0 लाईन के 75 किमी0 के साथ–साथ 142 ग्रिड उपकेन्द्रों से 20,450 एम.भी.ए. ट्रांशर्फोमेशन क्षमता वाले ग्रिड उपकेन्द्रों का नेटवर्क संचालित करती है। कम्पनी ने निरन्तर तकनीकी विकास के अलावा अपने लोगों में आवश्यक कौशल के विकास पर जोर दिया है और इसीलिए इसने प्रशिक्षण हेतु ढांचागत निर्माण में निवेश किया है। कम्पनी ने हाल ही में पटना के 'गौरीचक' में एक पावर ट्रेनिंग सेन्टर (विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र) स्थापित किया है, जहां कर्मचारियों/छात्रों को विभिन्न विद्युत सुरक्षा तंत्र और उपकरण परिचालन एवं परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है।

कम्पनी के दिन–प्रतिदिन के मामलों का प्रबन्धन, निदेशक (परियोजना) निदेशक (परिचालन) और सभी मुख्य अभियन्ताओं के सहयोग से प्रबन्ध निदेशक द्वारा, मुख्यालय व क्षेत्रीय दोनों ही स्तर पर किया जाता है। इसमें समर्पित एवं अनुभवी पेशेवरों/अभियन्ताओं की टीम भी उन्हें सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में बी.एस.पी.टी.सी.एल. अपने मुख्यालय पटना एवं बिहार के अन्य शहरों में स्थित कार्यालयों से कार्य कर रही है।

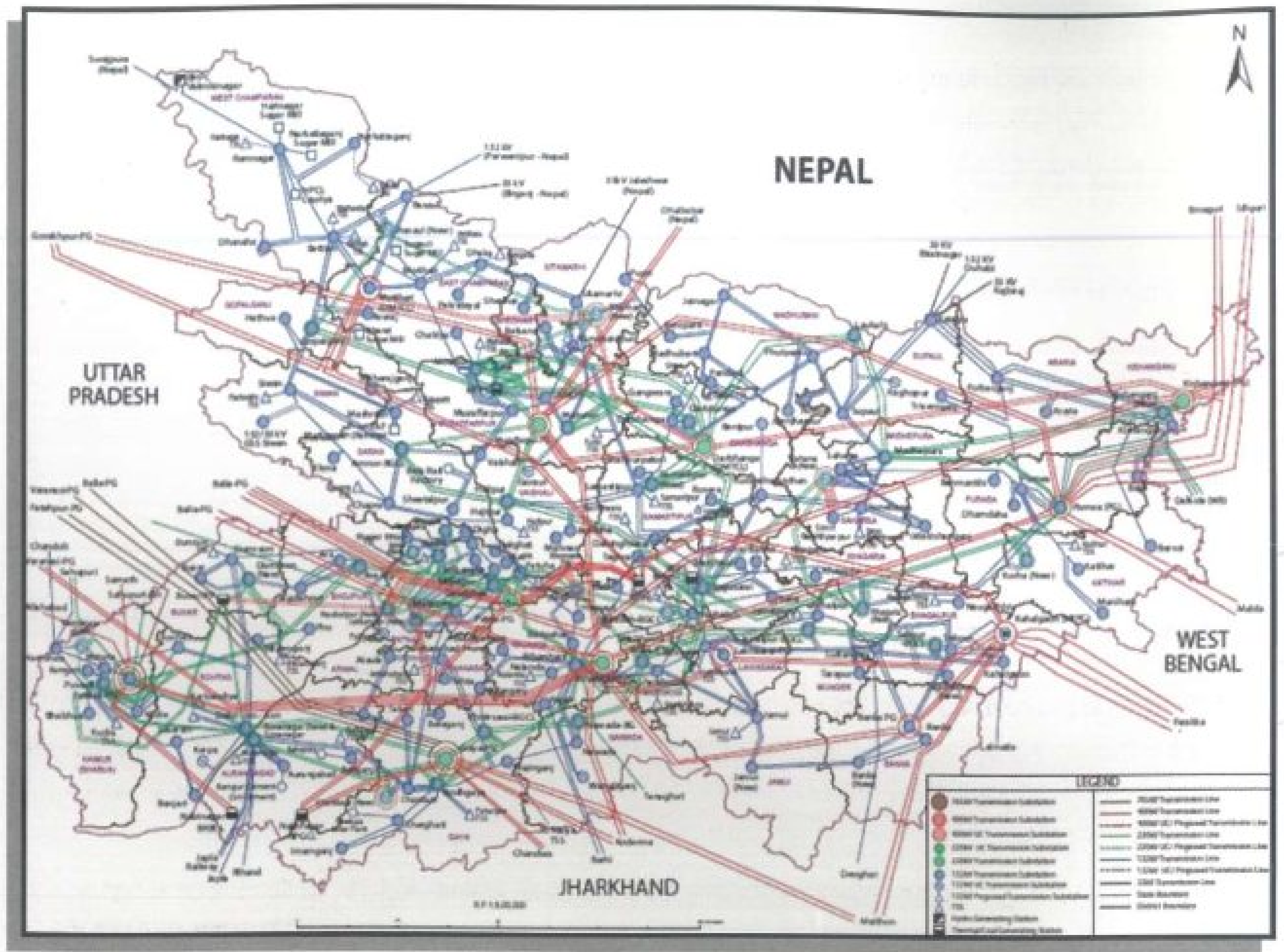

बीएसपीटीसीएल मुख्यालय के अधीनस्थ 3 संचरण क्षेत्र, 15 संचरण अंचल 29 संचरण प्रमण्डल एवं 142 जी.एस.एस. में विभाजित है। बी.एस.पी.टी.सी.एल. जल्द ही व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार 16 अदद अतिरिक्त ग्रिड उपकेन्द्रों की स्थापना करेगा। बी.एस.पी.टी.सी.एल. में लगभग 2500 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

जोखिम आकलन

किसी भी प्रकार की आपदा में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विद्युत व्यवस्था बंद होने की स्थिति से निपटने के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) ने पूर्वी क्षेत्र के भार प्रेषण केन्द्र (ई.आर.एल.डी.सी.) और पूर्वी क्षेत्र विद्युत समिति (ई.आर.पी.सी.) के साथ समन्वय बनाते है जिससे कि जितनी जल्दी हो सके वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था पुनः बहाल की जा सके।

संवेदनशीलता की पहचान

- संचरण टावरों और लाइनों की तुलना में ग्रीड उपकेन्द्र आपदा की दृष्टि से कम असुरक्षित हैं।
- रेडियली कनेक्टेड उपकेन्द्र ज्यादा संवेदनशील हैं।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचरण लाइनें सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित उपकेन्द्र ज्यादा संवेदनशील हैं।
- वन क्षेत्रों से गुजरने वाली लाइनें चकवात व तेज हवा/आंधी के दौरान पेड़ गिरने की दशा में ज्यादा संवेदनशील हैं, जिसके कारण लाईन व टावर, दोनों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है।
- अपनी धारा बदलने वाली नदियों के क्षेत्र में स्थित संचरण टावर अति संवेदनशील होते हैं।

जोखिम

जोखिमों को निम्नानुसार विभक्त किया जा सकता है –

- बाढ़, चक्रवात, आंधी, तोड़–फोड़ आदि के कारण टावर का गिरना।
- तकनीकी खराबी, इन्सुलेटर की खराबी, हवा के दबाव के कारण कण्डक्टर का टूट जाना।
- बिजली गिरने से तकनीकी खरीबी, टूट–फूट, वोल्टेज बढ़ने से इन्सुलेटर का फेल होना।
- कण्डक्टर टूटने या टावर के गिर जाने से सड़क एवं रेल यातायात का अवरूद्ध होना।
- कण्ट्रोल रूम, बैटरी रूम, एसी–डीसी रूम में शार्ट सर्किट होने और ट्रांसफार्मर का तेल जलने के कारण ट्रांसफार्मर फेल हो जाना, मशीनों से आग का खतरा।
- विद्युतीय दुर्घटनाएं
- घनघोर वर्षा के कारण केबल ट्रंच में पानी भर जाना।

बी.एस.पी.टी.सी.एल. की समुचित योजना से तीव्र प्रतिक्रियात्मक कार्य समय से मानव व वस्तुओं का प्रबन्धन के कारण इन सभी बाधाए/आपदा के दौरान भी गुणवत्तापरक व निर्बाध रूप से बिजली प्रदान करने से विचलित नहीं कर पाती हैं।

जोखिम प्रबन्धन रणनीति

हालांकि सटीक रिक्वरी समय के उद्देश्य एवं विघटन की अधिकतम सहनीय अवधि आपातकाल की गंभीरता के आधार पर भिन्न हो सकती है, परंतु यह दस्तावेज आपातकालीन प्रबंधन पर सबसे प्रभावी और कुशल तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करता है। ट्रांसमिशन कम्पनी का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपदा की दशा में जितना जल्दी से सम्भव हो सके, वह प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को बहाल करना है। यह विभिन्न तरीकों से किया जायेगा जैसे –

- बी.एस.पी.टी.सी.एल. के पूरे नेटवर्क में अधिकांश जीएसएस आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि यदि किसी कारण से कोई एक स्रोत कट जाता है तो उस क्षेत्र में दूसरे स्त्रोंत से विद्युत प्रवाहित किया जाएगा, लेकिन कुछ जी.एस.एस. रेडियल रूप से भी जुड़े होते हैं, जो आपदाओं के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस रेडियल ग्रीड उपकेन्द्र को 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी के स्तर पर 3 स्टेज रिंग सिस्टम में बदलने की योजना बनाई गयी है, जो आपदा के दौरान ब्लैक आउट के खतरे को काफी हद तक समाप्त कर देगा।
- बी.एस.पी.टी.सी.एल. के अंचलीय भण्डार में समुचित मात्रा में सभी प्रकार के संचरण टावरों की व्यवस्था रखी गई है।
- यदि ये सभी सावधानी के उपाय अपर्याप्त हुए या ज्यादा समय लेते हैं तो ऐसी स्थिति में विद्युत व्यवस्था सामान्य होने तक ई.आर.एस. (आपातकालीन संचरण टावर) का उपयोग कर बिजली आपूर्ति बहाल की जाती है। इसलिए पर्याप्त संख्या में ई.आर.एस. सभी संचरण अंचलीय भण्डार में रखी जायेगी।
- यहां कुछ ऐसे उपकेन्द्र हैं जहां केबल ट्रंच में पानी भरने की संभावना है। ऐसी स्थिति में पानी को बाहर निकालने के लिए सभी जी.एस.एस. में डी–वाटरिंग पम्प की व्यवस्था है।
- कुछ विशेष महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे – टावर, करेंट ट्रांसफॉरमर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ब्रेकर्स और लाइटिंनिग एरेस्टर को सामान्यतः बफर स्टाक (5–10%) के तौर पर आपदा के दौरान उपयोग हेतु विभिन्न स्टोर पर रखा जाता है।
- ग्रिड उपकेन्द्र के मुख्य उपकरणों एवं संचरण लाइनों को बीमा के अन्दर आच्छादित रखेगा।
- आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए उपकरणों का अलग से भंडारण की व्यवस्था करने के लिए संचरण भंडारों का पुनर्गठन करना।
- आपातकालीन कार्यों एवं उपयोग के सामग्रियों (ट्रैक्टर, बाँस, जियोबैग एनसीक्रेट) का मूल्य निर्धारण एवं एजेंसियों का दर निर्धारण करना एवं आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची उपलब्ध रखना जिससे की आपातकालीन कार्यों को ससमय सम्पन्न किया जा सके।

आपदा प्रबन्धन की जाँच सूची

आपात स्थिति में विद्युत आपूर्ति बहाल करने की त्वरित तैयारी एवं लक्ष्यों को निर्धारण करने के लिए विस्तृत जाँच सूची तैयार कर सभी ग्रिड एवं लाइन सब–डिविजनों को प्रेषित की गई है। जाँच सूची के प्रारूप को इस तरह से बनाया गया है कि जिससे की पुराने आंकड़ों को एकत्रित किये जा सके, योजना बनाने में सहायक हो तथा आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाई की जा सके। जाँच सूची जुड़ाव के विभिन्न प्रकारों को भी उल्लेखित करता है, जो निम्न प्रकार से हैं–

- बाढ़ संभावित क्षेत्रों (पूर्णिया, मधेपुरा, दरभंगा इत्यादि) के एक्स्ट्रा हाई टेंशन (ई.एच.टी.) लाईन की जाँच सूची।
- चक्रवात संभावित क्षेत्रों (बिहार शरीफ, भागलपुर इत्यादि) क्षेत्रों के ई.एच.टी. लाइन की जाँच सूची।
- प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, आँधी, भुकम्प इत्यादि की अनुमण्डलवार तैयारी।
- ई.एच.टी. टावर्स का लाइनवार विवरण।
- आपात के दौरान प्रयोग में लाये जाने वाले सामग्रियों/औजारों की सूची।

प्रतिक्रिया

संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों के आपदा प्रबन्धन से संबंधित प्रतिक्रियाओं का संकल्प एवं मुल्यांकन कर BCP में समय–समय पर आवश्यक परिवर्तन करना। आपदा प्रबन्धन योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अधिक विचारों को आमंत्रित किया जाना।

प्रगामी आपदा योजना

प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के दौरान युद्ध स्तर पर सभी आवश्यक गतिविधियों को नियंत्रित एवं समन्वित करने के लिए बीएसपीटीसीएल के पन्द्रह (15) संचरण अंचलों में आपदा रिस्पान्स केन्द्र स्थापित किया जाना है।

सभी विकास योजनाओं हेतु निदेशक मंडल की स्वीकृति के लिए एजेण्डा तैयार करते समय आपदा प्रबन्धन नीति को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि आपदा घोषित हो जाती है तो अधिकारीगण निम्नलिखित तालिका के अनुसार वित्तीय अधिकारो का प्रयोग करेंगे :–

पदनाम	जिनका वित्तीय अधिकार का प्रयोग किया जाना है
कनीय विद्युत अभियंता	सहायक विद्युत अभियंता
कनीय अभियंता (असैनिक)	सहायक अभियंता (असैनिक)
सहायक विद्युत अभियंता	विद्युत कार्यपालक अभियंता
सहायक अभियंता (असैनिक)	कार्यपालक अभियंता (असैनिक)
विद्युत कार्यपालक अभियंता	विद्युत अधीक्षण अभियंता
कार्यपालक अभियंता (असैनिक)	अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
विद्युत अधीक्षण अभियंता	मुख्य अभियंता
अधीक्षण अभियंता (असैनिक)	मुख्य अभियंता (असैनिक)
मुख्य अभियंता	निदेशक
मुख्य अभियंता (असैनिक)	निदेशक

परियोजना विवरण

- आपदा रिस्पान्स केन्द्रों की स्थापना सभी संचरण अंचल में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार व्यवस्था के साथ किया जाना है।
- प्राकृतिक आपदा के दौरान की जाने वाली सभी गतिविधियों को सम्बन्धित विद्युत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नियोजित, समन्वित एवं नियंत्रित किया जाना है।
- मौजूदा ई.आर.एस. स्टोर आपदा रिस्पान्स केन्द्रों के विद्युत अधीक्षण अभियन्ता के नियंत्रण में होंगे। यह स्टोर ई.आर.एस. टावरों की सूची के साथ–साथ आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित होंगे जिससे कि आपात स्थिति में अस्थायी रूप से विद्युत बहाल किया जा सके। विभिन्न स्थानों में आपदा आने से पूर्व ही विद्युत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा आपदा रिस्पान्स गैंगों को निश्चित कर सूचीबद्ध कर अलग–अलग स्थानों पर तैनाती की जानी हैं।

आपदा सुरक्षित एवं आपदा निरोधक प्रणाली की दिशा में कदम

इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य निम्न है–

- रेडियल सिस्टम को रिंग सिस्टम में रूपान्तरित करना।
- कुछ पुराने एयर इंसुलेटेड ग्रिड सब स्टेशनों को गैस इंसुलेटेड ग्रिड सब स्टेशनों में बदलना और ग्रिड की बेहतर निगरानी एवं संचालन के लिए रिमोट कंट्रोल और ऑटोमेशन के लिए ग्रिड तकनीक का उपयोग करना।
- इस क्षेत्र में विकसित की जाने वाली लाइनों में 350 किमी0प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले पवन वेग का सामना कर सकने वाले टावरों का उपयोग करना तथा मौजूदा टावरों को मजबूत करना।

आपदा प्रबन्धन हेतु की जाने वाली गतिविधियाँ

बी.एस.पी.टी.सी.एल. में कारोबार निरंतरता योजना (बिजनेस कन्टिन्युइटी प्लान) को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु निम्न गतिविधियों को अपनाया जाना चाहिए–

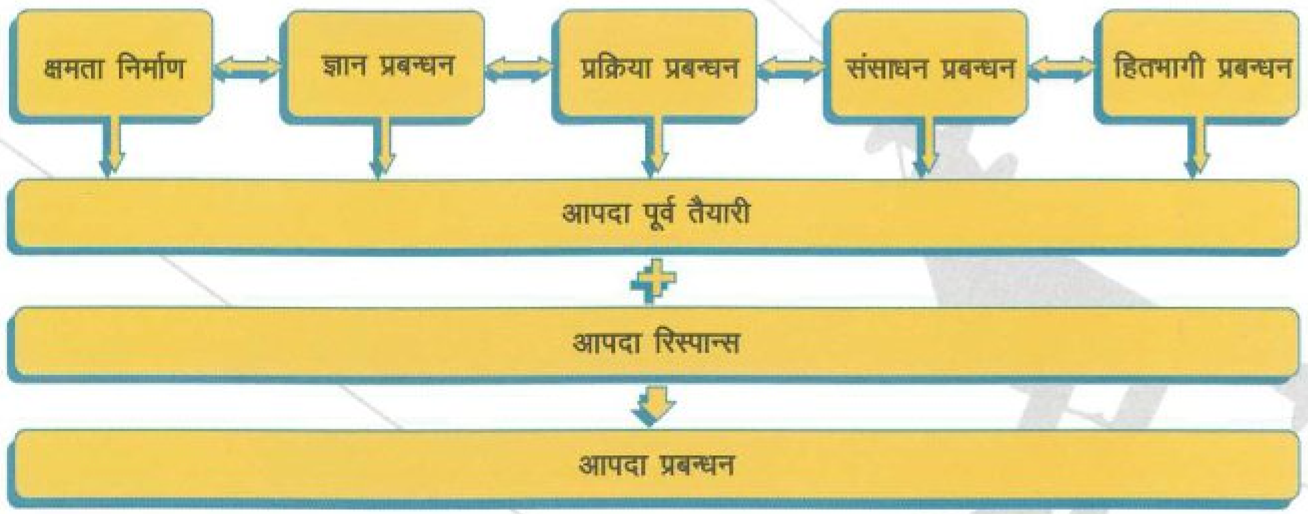

1. पूर्व तैयारी

आपदा के संदर्भ में पूर्व तैयारी के अन्तर्गत पांच महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिसको अपनाकर प्रभावी रिस्पान्स किया जा सकता है। इन घटकों का संक्षिप्त विवरण निम्न रूप से उल्लेखित है–

क्षमता निर्माण : क्षमता निर्माण का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों का चयन एवं उनको प्रशिक्षण देने से है जो आपदा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर योजना बनाने, समन्वय स्थापित करने एवं राहत कार्य पहुंचाने में सहायक हो सके। बेहतर प्रशिक्षण द्वारा स्थानीय स्तर पर मजबूत टीम का गठन किया जा सकता है एवं आपदा के दौरान प्रभावी ढंग से रिस्पान्स के कार्य को सम्पादित कर सकते हैं।

ज्ञान प्रबन्धन : आपदा के दौरान सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने वाले संगठन (जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है) विभिन्न आपदाओं के अशांत एवं बदलते स्वरूपों में काम करने के लिए सक्षम हैं। ज्ञान प्रबन्धन, जो आपदा प्रबन्धन में महत्वपूर्ण घटक है, निश्चित रूप से आसान एवं लोचपूर्ण होना चाहिए ताकि विपरीत एवं विकट परिस्थितियों में भी डटे रहने में सहायक हो।

प्रक्रिया प्रबन्धन : इसके अन्तर्गत जोखिम मूल्यांकन, आवश्यकता मूल्यांकन, आपूर्तिकर्ता का चयन, रणनीति निर्माण, पहुँचने का प्रबन्धन, अन्तिम छोर तक पहुँचने की योजना एवं अन्य संचालन शामिल है।

संसाधन प्रबन्धन : इसमें उपलब्ध संसाधनों का प्रबन्धन एवं उनकी सही स्थानों पर तैनाती, सुचारू संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना शामिल है।

हितभागी प्रबन्धन : यह विभिन्न हितभागियों के बीच सहयोग एवं समन्वय पर जोर देता है।

2. आपदा रिस्पान्स

आपदा रिस्पान्स आपदा प्रबन्धन चक्र का द्वितीय चरण है। इस चरण में, जब तक लोग अधिक स्थाई व सतत् समाधान न प्राप्त कर सकें, तब तक लोगों को सुरक्षित रखने, आपदाओं को रोकने और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

रिस्पान्सकर्ताओं हेतु सामान्य उद्देश्य निम्नवत् हैं –

- मानव जीवन को बचाना एवं उसकी सुरक्षा करना।
- पीड़ा कम करना।
- आकस्मिकता/आपातकालीन स्थितियों से निपटना – इसकी वृद्धि को कम करना अथवा इसके प्रभाव को बढ़ने से रोकना।
- जन सामान्य एवं व्यवसायों को चेतावनी, सलाह एवं सूचनाएं उपलब्ध कराना।
- रिस्पान्स दल में शामिल कर्मियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की रक्षा करना।
- पर्यावरण की रक्षा करना।
- जहां तक संभव हो, उचित रूप से व्यवहारिक सम्पत्तियों की रक्षा करना।
- महत्वपूर्ण गतिविधियों को बनाये रखना एवं सुधारना।
- सामान्य सेवाओं को एक यथोचित स्तर तक बनाये रखना।
- प्रतिक्रिया एवं समाधान में जो कोशिशें की जा रही है उनका उपयुक्त कार्यो की सूची बनाना एवं उन्हें करना।
- उपर्युक्त कार्यो की सूची बनाना एवं उन्हें लागू करना।

बिहार राज्य स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी.एस.पी.टी.सी.एल.) के लिए आपदा प्रबन्धन समूह निर्माण

इस समूह में आपदा प्रबन्धन प्रक्रिया एवं नीतिगत निर्णय में भागीदारी करने वाले उन सभी सम्बन्धित विभागों को शामिल किया गया है, जो आपदा स्थितियों का मुकाबला करने हेतु आपदा प्रबन्धन प्रक्रियाओं की देख–रेख व नीतिगत निर्णय लेंगे एवं जमीनी गतिविधियों में सहभागिता करेगें। यह एक क्रास फंक्शनल समूह भी होगा, जिसमें विभागों/डिविजनों के प्रमुख शामिल होगें। बिहार राज्य स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की व्यापार निरन्तरता योजना (बिजनेस कन्टीन्यूटी प्लान) के सफल क्रियान्वयान के लिए तीन समूह –एपेक्स डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप (ए.डी.एम.जी.), सेन्ट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप (सी.डी.एम.जी.) व नोडल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप (एन.डी.एम.जी.) का गठन किया जाना चाहिए।

1. एपेक्स डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप

इस समूह में नेतृत्व दल (सी.एम.डी./एम.डी./डायरेक्टर्स) होगें, जो आपदा प्रबन्धन की प्रक्रिया तथा नीतिगत निर्णयों का निरीक्षण करेंगे। एडीएमजी की भूमिका एवं जिम्मेदारियां निम्नानुसार होंगी –

आपदा पूर्व

- नीति एवं योजना की समीक्षा एवं अनुमोदन।
- संसाधनों को साझा करने हेतु सरकारी एजेन्सियों एवं राज्य वितरण कम्पनियों के साथ समन्वय।
- आपदा प्रबन्धन हेतु बजट का अनुमोदन।
- आपदा पूर्व तैयारियों का जायजा लेने हेतु सेन्ट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ प्रत्येक तीन माह पर समीक्षा।

आपदा के दौरान

- आपदा के दौरान होने वाले कार्यों के लिए समग्र समन्वयन एवं निगरानी।
- उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद बनाये रखना।
- मीडिया को वस्तुस्थिति से परिचित कराते रहना।
- विशिष्ट संसाधनों की मंजूरी देना।

आपदा के बाद

- प्रदर्शन मानकों की समीक्षा
- व्यय की समीक्षा

2. सेन्ट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप

यह क्रास फंक्शनल समूह मुख्यालय स्तरीय होगा। विभागों/डिवीजनों के प्रमुख मुख्य अभियन्ता (एस.ओ.), मुख्य अभियन्ता (ओ एण्ड एम), महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), विद्युत अधीक्षण अभियन्ता एवं विद्युत कार्यपालक अभियन्ता इसके सदस्य होगें एवं आपदा प्रबन्धन में इस समूह की आधारभूत भूमिका होगी। सेन्ट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नवत् होगी :–

आपदा पूर्व

- मौसम की निरन्तर निगरानी एवं समीक्षा।
- आपदा स्थितियों से निपटने हेतु उपयोग होने वाले संसाधनों की पहचान कर उन्हें पहले से ही तैयार रखना।
- आवश्यक सुविधाओं के साथ इमरजेन्सी आपरेशन सेंटर की स्थापना करना।
- एपेक्स डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- आपदा प्रबन्धन हेतु बजट तैयार करना।
- सेन्ट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप और नोडल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप की क्षमता को बढ़ाना।
- एपेक्स डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ प्रत्येक तीन माह पर तथा नोडल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ प्रत्येक माह आन्तरिक

समीक्षा और सेन्ट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ प्रत्येक दो माह पर आन्तरिक समीक्षा।

- प्रत्येक वर्ष आपदा प्रबन्धन योजना की समीक्षा करना।
- विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित एस.ओ.पी. में संशोधन की समीक्षा एवं संस्तुति।

आपदा के दौरान

- इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर में कार्यकर्ता उपलब्ध कराना, केन्द्रीय समन्वय, निगरानी एवं एन.डी.एम.जी. को केन्द्रीय संसाधन आवंटन करना।
- नियन्त्रण कक्ष में कार्यकर्ता उपलब्ध कराना और सम्पर्क बनाये रखना।
- आपदा स्थितियों का आकलन करना।
- एपेक्स डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप और नोडल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ समन्वय स्थापित करना।

आपदा के बाद

- आपदा के बाद स्थितियों का विश्लेषण एवं समीक्षा।
- आपदा आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर आपदा प्रबन्धन योजना की समीक्षा।
- व्यय विश्लेषण एवं सेन्ट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को रिपोर्टिंग।

3.नोडल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप

आपदा स्थितियों से निपटने हेतु जमीनी स्तर पर किये जाने वाले कार्यों में सहभागिता के लिए संबंधित अंचल के वि.अ.अ./वि.का.अ./स.वि.अ./क.वि.अ. को मिलाकर नोडल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाएगा। आपदा के विभिन्न चरणों में इस समूह के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं:–

आपदा पूर्व

- आपदा प्रबन्धन की योजना बनाने तथा आपातकाल से निपटने हेतु संसाधनों एवं कारपस फण्ड सम्बन्धी पूर्व तैयारी करने के लिए सम्बन्धित विभागों के साथ समय–समय पर आन्तरिक बैठकों का संचालन करना।
- सेन्ट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ समय–समय पर संचार।
- विभिन्न आपदाओं हेतु बने एस.ओ.पी. की समीक्षा।
- आपातकालीन वस्तुओं का बफर स्टाक रखना तथा इन्वेण्ट्री बनाना एवं रखना।
- आपदा से पहले समुचित प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल की व्यवस्था।

आपदा के दौरान

- क्षति का आकलन कर सेन्ट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय प्रशासन को रिपोर्ट करना।
- विद्युत वितरण कम्पनियों को उपभोक्ताओं को सजग रहने हेतु सूचित करना।
- आपदा वर्गीकरण के आधार पर एस.ओ.पी. का पालन करना।
- जमीनी स्तर के पुनर्स्थापन सम्बन्धी कार्यों का संचालन एवं निगरानी करना।
- आपातकाल से निपटने हेतु हितभागियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- सेन्ट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना और विशिष्ट आवश्यकताओं को चिन्हित करना।

आपदा के बाद

- आपदा के बाद रिपोर्ट तैयार करना और समीक्षा हेतु विश्लेषण
- नेटवर्क/संगठन को पुनः तैयार करना/सशक्त करना।
- क्षति मुल्यांकन करना एवं क्षति मुल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सिविल संरचनाओं की मरम्मत करना।

Business Continuity Management (BCM)

क. भूकम्प के लिए मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.)

क. 1. आपदा पूर्व :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	भूकम्प के दौरान स्थितियों को संभालने हेतु नियंत्रण कक्ष के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची तैयार करना।	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (ओ एण्ड एम) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
02	भूकम्प के दौरान आत्मरक्षा, निष्कासन अभ्यास, इमरजेन्सी बचाव योजना अपनाने पर मॉकड्रिल आयोजित करना।	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (ओ एण्ड एम) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
03	प्रत्येक जी.एस.एस. के लिए विभिन्न स्रोतों से विकल्प के तौर पर दो या अधिक ऊर्जा स्रोतों की व्यवस्था करने की योजना।	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (ओ एण्ड एम), मुख्य अभि. (पी. एण्ड ई.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
04	सभी संचरण अंचलों में इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम की व्यवस्था	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (ओ एण्ड एम) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
05	सर्किल/डिवीजन/जीएसएस स्तर पर टावर सामग्रियों/कन्डक्टरों/इन्सुलेटरों/ओपीजीडब्ल्यू/हार्डवेयरों आदि की भण्डारण का प्रावधान	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (ओ एण्ड एम) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
06	किसी भी आपदा परिस्थिति में व्यवस्था को पुनः अपनी पुरानी स्थिति में वापस लाने के लिए अधिकृत एजेन्सियों/विद्युत कर्मी दलों की व्यवस्था करना।	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (ओ एण्ड एम) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
07	भूकंपीय क्षेत्र की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए भूकंपरोधी संरचना की रूपरेखा तैयार करना।	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (असै०) एनडीएमजी – अ०अ० (असै०)
08	मुख्य अभियन्ता (असैनिक) द्वारा गठित समिति के द्वारा पुराने भवनों (कार्यालय एवं आवासीय भवन) के स्थिति सर्वेक्षण करना।	मुख्य अभियन्ता द्वारा गठित समिति।
09	भवनों एवं चाहरदिवारियों के समीप पुराने एवं सूखे पेड़ों एवं टहनियों की छंटाई कराना ताकि ये निर्माण (भवन एवं चाहरदिवारी) पर न गिरे।	कनीय अभियन्ता (सिविल)
10	भूकंप से सुरक्षा हेतु नियत स्थान को निर्धारित करना, आपातकालीन निकास के लिए सांकेतिक निर्देशों की व्यवस्था, आपातकालीन निकासी में समुचित बाधारहित एवं प्रकाश की व्यवस्था।	सीडीएमजी – जी.एम. (एच.आर.) मुख्य अभि० (असै०)

क. 2. आपदा के दौरान :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	बीएसपीटीसीएल की नामित आपदा प्रबन्धन टीम कार्यस्थल पर तुरन्त कार्यभार ग्रहण करेगी। अन्य कर्मी भूकंप के दौरान कार्यस्थल खाली कर देंगे।	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (ओ एण्ड एम) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
02	पावर नियंत्रण कक्ष के समग्र प्रभार को आपदा प्रबन्धन के लिए नामित नोडल पदाधिकारी का प्रभार लेना।	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (ओ एण्ड एम)/ मुख्य अभि० (पी एण्ड ई) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
03	प्रभावित क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को तुरन्त बन्द कर देना।	एनडीएमजी – वि.अ.अ.
04	वर्तमान स्थिति के अनुसार पूर्वी क्षेत्रों के ग्रिड की स्थिति को जानने तथा उसके आधार पर त्वरित योजना बनाने के लिए ईआरएलडीसी, एसएलडीसी से संचार स्थापित करना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (एस.ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
05	सिस्टम डिमाण्ड में संभावित गिरावट का अनुमान लगाना और उसी के आधार पर एसएलडीसी और/अथवा ईआरएलडीसी को रीशिड्यूल भेजना	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (एस.ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
06	वास्तविक समय प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन संयत्रों के लिए रीशिड्यूल को नियमित करना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (एस.ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
07	ट्रान्सफार्मर टैपों को एडजस्ट कर, कैपेसिटर बैंकों को स्विच ऑफ कर और जीएसएस द्वारा रिएक्टिव पावर सप्लाई को कम करके सिस्टम वोल्टेज को मेण्टेन करना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० .(ओ एण्ड एम) एनडीएमजी – वि.अ.अ
08	भूकम्प के झटके के 15–20 मिनट के बाद जब कंपन की स्थिति खत्म हो गई हो तब इमारतों/खतरे वाले क्षेत्रों में जाकर किसी बड़े नुकसान की जांच करें। यदि स्थिति गंभीर न हो तो स्थानीय प्रशासनिक के साथ तालमेल कर विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के बाद पुनः उसे अधिग्रहीत करें।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० .(ओ एण्ड एम), जी.एम. (ळेच.आर.) सि.इ. – (एस.ओ.)

क. 3. आपदा के बाद :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	रिपोर्ट तैयार करना जिसमें पावर कंट्रोल रूम के भूकम्प सम्बन्धी आंकड़ों का सम्प्रेषण शामिल हो	सीडीएमजी – मुख्य अभि० (एस.ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
02	भूकम्प सम्बन्धी रिपोर्ट व आंकड़ों का विश्लेषण करना, रियल टाइम आवश्यकताओं के सापेक्ष्य भूकम्प सम्बन्धी एस.ओ.पी. की समीक्षा और एस.ओ.पी. में आवश्यकतानुसार वांछित बदलाव	सीडीएमजी – मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
03	उन क्षेत्रों में जहां विद्युत सम्बन्धी संरचना को नुकसान नहीं हुआ है वहां तुरन्त विद्युत् आपूर्ति की बहाली की व्यवस्था करना	एनडीएमजी – वि.अ.अ.
04	प्रभावित क्षेत्रों में उन संरचनाओं की पहचान जिनकी क्षति कम हुई हो और जिसकी बहाली में समय कम लगे। मरम्मत हेतु दलों की त्वरित तैनाती। मरम्मत कार्यों के पूरा होने के तुरन्त बाद विद्युत आपूर्ति की बहाली करना	सीडीएमजी – मुख्य अभि० एनडीएमजी
05	प्रभावित क्षेत्रों में उन संरचनाओं की पहचान जिनको काफी क्षति पहुंची है। ऐसी संरचनाओं हेतु आपात बहाली व्यवस्था ईआरएस द्वारा द्वारा त्वरित व्यवस्था करना। अस्थाई व्यवस्थाओं के पूरा होते ही आपूर्ति की बहाली करना	सीडीएमजी – मुख्य अभि० एनडीएमजी – अ.अ.

ख. बीएसपीटीसीएल में बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रकिया

ख. 1 आपदा पूर्व :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	मानसून से पहले अर्न्तविभागीय आपदा पूर्व तैयारी बैठक आयोजित करना। संचरण प्रणाली की दुरूस्त स्थिति की जाँच हेतु परिस्थिति के आधार पर सर्वेक्षण कराना	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (ओ. एण्ड एम.), जी.एम. (एच.आर.), मुख्य अभि. (एस.ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
02	प्रभावित प्रत्येक ग्रीड उपकेन्द्रों पर सम्प पम्प की व्यवस्था करना	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
03	ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए बाढ़ के दौरान प्रभावित हो सकने वाले ग्रिड उपकेन्द्रों एवं संचरण लाईनों के संवेदनशील स्थानों की स्थिति को समझते हुए रिपोर्ट तैयार करना	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
04	उपरोक्त तैयार रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित स्थानों पर बालू भरे बोरे की व्यवस्था। बाढ़ पूर्वानुमान की स्थिति में बालू के बोरे बिछाने हेतु स्थानीय गैंग का प्रावधान सुनिश्चित करना।	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (असै.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
05	बाढ़ संभावित क्षेत्रों में उच्चतम बाढ़ स्तर के ऊपर ग्रीक उपकेन्द्र तथा अन्य संरचना का निर्माण सुनिश्चित करना।	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (असै.) एनडीएमजी – अधी. अभि. (असै.)

ख. 2 आपदा के दौरान :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	सिस्टम की जरूरत के अनुसार आवश्यक अपडेट के लिए एस.एल.डी.सी, ई.आर.एल.डी.सी. एवं जी.एस.एस. के साथ बेहतर समन्वय बनाये रखना। सिस्टम डिमाण्ड में संभावित गिरावट को समझना और जीएसएस को रीशिड्यूल प्रेषित करना	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (एस.ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
02	सभी प्रभावित संचरण लाईनों एवं ग्रिड उपकेन्द्रों को बन्द किया जायेगा	सीडीएमजी – मुख्य अभि० (एस.ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
03	ट्रांसफार्मर टैप को एडजस्ट कर, कैपेसिटर बैंक को बंद कर और जीएसएस द्वारा रिएक्टीव पावर सप्लाई को कम करके सिस्टम वोल्टेज को बनाये रखने की कोशिश करना	सीडीएमजी – मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
04	कार्य स्थलों पर जल जमाव की स्थिति की जांच करना	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (असै.) एनडीएमजी – अधी. अभि. (असै.)
05	प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकालने हेतु कंट्रोल रूम से सम्प पम्प का संचालन करना	सीडीएमजी – मुख्य अभि. (असै.) एनडीएमजी – अधी. अभि. (असै.)

ख. 3 आपदा के बाद :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	जैसे ही बाढ़ आती है, समुचित गश्त के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की जाये।	सीडीएमजी – मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
02	आपदा उपरान्त विश्लेषण व क्षति आंकलन	सीडीएमजी – मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
03	जमीनी स्तर पर बहाली कार्य हेतु मैन पावर जुटाना व निगरानी	सीडीएमजी – मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
04	मरम्मत कार्यों हेतु गैंग को तुरन्त इकट्ठा करना। मरम्मत कार्य के बाद ही बिजली आपूर्ति की बहाली।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
05	प्रभावित क्षेत्र में व्यापक स्तर पर क्षतिग्रस्त हुए विद्युत संरचनाओं की पहचान करना। उस संरचना की आपातकालीन बहाली के लिए तत्काल योजना बनाना। अस्थायी व्यवस्था के तुरन्त बाद विद्युत आपूर्ति की बहाली।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
06	जितना जल्दी हो सके सभी अस्थायी कार्यों को स्थायी तौर पर किया जाना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
07	पानी की उचित निकासी के लिए सभी नालों को साफ करना एवं अवांछित सामानों को हटाना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
08	खर्चों का विश्लेषण व वित्तीय रिपोर्ट	सीडीएमजी – मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) जी.एम. (वित्त एवं लेखा) एनडीएमजी – वि.अ.अ.

ग. बीएसपीटीसीएल में चक्रवात के लिए मानक संचालन प्रकिया (एसओपी)

ग. 1 आपदा पूर्व :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	गर्मी व मानसून से पूर्व अन्तर्विभागीय आपदा पूर्व तैयारी बैठक आयोजित करना	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
02	अर्थ पिट और लाइटनिंग अरेस्टर रेजिस्टेन्स की नियमित जांच	एनडीएमजी – वि.अ.अ.
03	ऐसे संवेदनशील स्थानों की पहचान कर रिपोर्ट तैयार करना जहां विगत 10 वर्षों में चक्रवात के कारण ट्रांसमिशन टावर ध्वस्त हो गये थे।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
04	उपरोक्त गतिविधि/रिपोर्ट के आधार पर पहचान किये गये टावर स्थल पर ईआरएस की व्यवस्था करना	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
05	आपदा की स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना	सीडीएमजी–जी.एम. (एच.आर.)

ग. 2 आपदा के दौरान :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	सिस्टम की जरूरत के अनुसार आवश्यक अपडेट के लिए एसएलडीसी/ईआरएलडी के साथ सम्पर्क बनाये रखना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (एस.ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
02	प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से बिजली आपूर्ति बन्द कर देना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (एस.ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
03	सिस्टम डिमाण्ड में सम्भावित गिरावट को समझना और एसएलडीसी और/या ईआरएलडीसी को रिशिड्यूल भेजना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (एस.ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
04	वास्तविक समय प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन संयंत्रों को रिशिड्यूल रेगुलेट करना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (एस.ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
05	ट्रांसफार्मर टैप को एडजस्ट कर, कैपिसिटर बैंक को बंद कर और रिएक्टिव पावर सप्लाई को कम करके सिस्टम वोल्टेज को बनाये रखने की कोशिश करना	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.

ग. 3 आपदा के बाद :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	पावर कण्ट्रोल रूम गतिविधि से सम्बन्धित वास्तविक आंकड़े को शामिल करते हुए चक्रवात से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार करना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
02	चक्रवात के संदर्भ में रिपोर्टों व आंकड़ों का विश्लेषण करना, चक्रवात के सापेक्ष वास्तविक समय की आवश्यकता के आधार पर एसओपी की समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो तो एसओपी में सम्बन्धित संशोधनों को शामिल करना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
03	प्रभावित क्षेत्रों में जहां पावर संरचनाएं नष्ट नहीं हुई है, बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली करना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ एण्ड एम) एनडीएमजी–ईएसई
04	प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे स्थानों की पहचान करना जहां पावर संरचनाए कम क्षतिग्रस्त हुई है और वहां बहाली में कम समय लग सकता है। मरम्मत कार्य के लिए गैंग को तत्काल इकट्ठा करना। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति की बहाली करना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
05	प्रभावित क्षेत्र में व्यापक स्तर पर क्षतिग्रस्त हुए विद्युत संरचनाओं की पहचान करना। उस संरचना की आपातकालीन बहाली के लिए तत्काल योजना बनाना। अस्थायी व्यवस्था के तुरन्त बाद विद्युत आपूर्ति की बहाली। जितना जल्दी हो सके सभी अस्थायी कार्यों को स्थायी तौर पर किया जाना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
06	पानी की उचित निकासी के लिए सभी नालों को साफ करना एवं अवांछित सामानों को हटाना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
07	चक्रवात के दौरान देखी गई कोई असामान्य स्थिति के लिए सुधारात्मक व निवारक कार्यवाही करना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
08	खर्चो का विश्लेषण व वित्तीय रिपोर्ट	सीडीएमजी–मुख्य अभि० (ओ. एण्ड एम.), जी.एम. (वित्त एवं लेखा) एनडीएमजी – वि.अ.अ.

घ. बीएसपीटीसीएल में अगलगी के लिए मानक संचालन प्रकिया (एसओपी)

घ. 1 आपदा पूर्व :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	आपदा से निपटने हेतु प्रत्येक माह आपदा प्रबन्धन पर अन्तर्विभागीय बैठक आयोजित करना।	सीडीएमजी–जी.एम. (एच.आर.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
02	कार्यालय मुख्यालय/प्रक्षेत्र कार्यालयों में ए, बी एवं सी प्रकार की अगलगी से निपटने हेतु यथोचित अग्निशामक यंत्रों (जैसे कि वाटर स्प्रिंक्लर्स, फायर बॉल) की व्यवस्था करना। दो पावर ट्रांसफर्मरों के बीच में फायर वॉल का निर्माण करना यदि दोनो के बीच की दूरी निर्धारित न्यूनतम दूरी से कम हो।	सीडीएमजी–जी.एम. (एच.आर.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
03	परिसर में इमरजेन्सी एग्जिट प्वाइंट तथा मुख्यालय एवं आफिस की फायर अलार्म सिस्टम की नियमित जांच व देखभाल करना।	सीडीएमजी–जी.एम. (एच.आर.) एनडीएमजी – अधी0 अभि0 (असैनिक)
04	राज्यस्तरीय अग्नि शमन विभाग स्तर से अग्निशमक यंत्रों व हवाई यंत्रों की व्यवस्था करना। अग्नि आपदा के समय में प्रयोग किये जाने वाले पानी के भंडारण हेतु पानी के टंकी का निर्माण की व्यवस्था।	सीडीएमजी–जी.एम. (एच.आर.), मु.अ. (असै.) एनडीएमजी – वि.अ.अ., अ.अ. (असै.)
05	मुख्यालय एवं सर्किल स्तर पर विशिष्ट फायर फाइटिंग टीम का गठन करना।	सीडीएमजी–जी.एम. (एच.आर.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
06	उन विशिष्ट उपकरणों को चलाने हेतु गठित फायर फाईटिंग टीम का प्रशिक्षण आयोजित करना।	सीडीएमजी–जी.एम. (एच.आर.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
07	फायर फाइटिंग टीम के लिए समय–समय पर मॉकड्रिल का आयोजन करना।	सीडीएमजी–जी.एम. (एच.आर.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.

घ. 2 आपदा के दौरान :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	इमरजेन्सी निकास के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को तत्काल बाहर निकालना।	सीडीएमजी – मुख्य अभि0 (सिविल), जी.एम. (एच.आर.) मुख्य अभि0 (एस. ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
02	विद्युत आपूर्ति को तत्काल बन्द करना अथवा प्रभावित क्षेत्र की बिजली काट देना।	सीडीएमजी – मुख्य अभि0 (एस. ओ.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
03	सभी प्रभावित क्षेत्रों को फायर फाइटिंग टीम और सीडीएमजी स्वयं संभाल लेंगे।	सीडीएमजी – जी.एम. (एच.आर.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.
04	"सुरक्षित" सिग्नल के फ्लैगिंग तक, सभी प्रवेश बिन्दुओं को बन्द/बैरिकेट करना।	सीडीएमजी – जी.एम. (एच.आर.) एनडीएमजी – वि.अ.अ.

घ. 3 आपदा के बाद :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	अगलगी के कारणों एवं उससे हुई क्षति पर रिपोर्ट तैयार करना।	सीडीएमजी –मुख्य अभि0 (ओ. एण्ड एम.), जी.एम. (एच.आर.), मुख्य अभि0 (एस.ओ.) एनडीएमजी –वि.अ.अ.
02	उपरोक्त रिपोर्ट के सन्दर्भ में रिपोर्टों एवं आंकड़ों का विश्लेषण करना और प्रतिपूर्ति हेतु तत्काल उपाय लागू करना।	सीडीएमजी –मुख्य अभि0 (ओ. एण्ड एम.), जी.एम. (एच.आर.), मुख्य अभि0 (एस.ओ.) एनडीएमजी –वि.अ.अ.
03	सभी प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की तत्काल पुनः बहाली करना।	सीडीएमजी –मुख्य अभि0 (एस.ओ.) एनडीएमजी –वि.अ.अ.

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
04	प्रभावित क्षेत्रों में मध्यम क्षतिग्रस्त ढांचों की पहचान करना, जिनकी कम समय में मरम्मत की जा सके। गैंगों को मरम्मत कार्य करने हेतु तत्काल रवाना करना। मरम्मत कार्य समाप्त होने के तुरन्त बाद विद्युत आपूर्ति की बहाली करना।	सीडीएमजी –मुख्य अभि0 (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी –वि.अ.अ.
05	प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक क्षतिग्रस्त ढांचों की पहचान करना। उन ढांचों के लिए इमरजेन्सी रिस्टोरेशन सिस्टम की तत्काल योजना बनाना।	सीडीएमजी –मुख्य अभि0 (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी –वि.अ.अ.
06	अग्निशमन के दौरान किसी भी विचलन के लिए तुरन्त सुधारात्मक एवं निवारक कार्यवाही करना।	सीडीएमजी –जी.एम. (एच.आर.) एनडीएमजी –वि.अ.
07	खर्चों का विश्लेषण एवं वित्त रिपोर्ट तैयार करना।	सीडीएमजी – जी.एम. (वित्त एवं लेखा), मुख्य अभि0 (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी –वि.अ.अ.

च. साइबर हमले के रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

च. 1 आपदा पूर्व :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	समय–समय पर साइबर हमलों के लिए अन्तर विभागीय आपदा तैयारी बैठक आयोजित करना	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम एनडीएमजी–वि0अ0अ0
02	एनसीआईआईपीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की पहचान और संकट प्रबन्धन योजना, सूचना सुरक्षा नीति आदि की तैयारी करना	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम एनडीएमजी–वि0अ0अ0
03	आईटी प्रणाली से जुड़ी नाजुकता जांच हेतु अनिवार्य दिनचर्या • जांच के लिए एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर और ऑडिशन स्थिति का उपयोग करें। • केवल लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। • ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य सॉफ्टवेयर पैच का नियमित रूप से अद्यतन करें। • महत्वपूर्ण व्यवसायिक आंकड़ों और सूचनाओं की बैकअप प्रतियां रखें। • पूरे सिस्टम में प्राधिकरण मैट्रिक्स को फिर से देखें। • असुरक्षित पासवर्ड वाले लोगों की जांच करें अर्थात् पासवर्ड में न्यूनतम वर्णों में अपर व लोअर केस के साथ–साथ स्पेसल चिन्हों एवं नम्बर का प्रयोग करें। • सूचना सुरक्षा नीति में उल्लेखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करें।	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम एनडीएमजी–वि0अ0अ0
04	सीईआरटी–इन के साथ समन्वय करने के लिए साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन करें।	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
05	वेबसाइट, पोर्टलों और आईटी प्रणालियों की नाजुकता मूल्यांकन आडिट अभ्यास आईएसओ 27001 के मानकों के आधार पर करे।	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम
06	समय–समय पर सॉफ्टवेयर की समझ वैद्यता की ऑडिट, कोड समीक्षा, वेब अनुपयोग सुरक्षा मूल्यांकन तथा आईटी सुरक्षा की ऑडिट का संचालन करें।	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम
07	कॉन्फिगरेशन प्रबन्धन, परिवर्तन प्रबन्धन आपदा प्रबन्धन और समस्या प्रबन्धन हेतु उपयुक्त आईटी शासन रूपरेखा का अनुकूलन करें।	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम
08	बीसीपी की पर्याप्तता को बनाये रखने हेतु समय–समय पर साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल/सिमुलेशन अभ्यास को योजना और निष्पादन करना	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम
09	साइबर संकट, आईटी सिस्टम पर हमला जैसे आकस्मिक आपदाओं से निपटने हेतु परिदृश्य आधारित रिसपॉन्स योजना का विकास एवं कार्यान्वयन करना।	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम

च. 2 आपदा के दौरान :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	सेवाओं में होने वाली गड़बड़ियों का निगरानी करना	मुख्यालय आईएसएमएस टीम
02	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग (सीईआरटी–इन, एमओडी, आईडीएस–डीआईएआरए आदि) को सूचित करें।	आईएसएमएस टीम
03	सिस्टम पर साइबर हमले की पुष्टि होने के बाद निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाये जायेंगे– • सम्बन्धित सीआईएसओ (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी) या आईएसओ 273001 सुरक्षा टीम या सीईआरटी–आईएन (कम्प्यूटर इमरजेन्सी) रिस्पान्स टीम–इण्डिया) को तुरन्त सूचित करें। • साइबर हमले के और अधिक प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट या लैन से प्रभावित उपकरणों को तुरन्त डिस्कनेक्ट करें। • उपभोक्ताओं के यूजर्स एकाउण्ट को निष्क्रिय करें। • समस्या को रोकने के लिए फायरवॉल को फिर से संगठित करें। • आईटी रिकवरी टीम के साथ संवाद करें। • आवश्यकतानुसार प्रबन्ध समिति एवं विक्रेताओं के साथ संवाद करें। • रिकवरी आपरेशन करें। यदि संभव हो तो रिकवरी आपरेशन को पहले परीक्षण करें फिर लाइव पर जायें। • मूल्यवान वस्तुओं/संसाधनों को सुरक्षित क्षेत्र में ले जायें। • प्रभावित क्षेत्र और उसके आस–पास के क्षेत्रों की सुरक्षा बनाये रखें।	आईएसएमएस टीम

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
	• आपदा के दौरान नुकसान का आंकलन करें। आमतौर पर आईटी के लोग इस काम को अंजाम दें। • बीएसपीएचसीएल अपनी ओर से प्रवक्ता नामित करेगें।	

च. 3 आपदा के बाद

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	आईटी टीम के साथ साइबर सुरक्षा टीम साइबर हमले से क्षति का आंकलन करेगी और हमले के मूल कारणों को विश्लेषण करने के साथ–साथ उनका दस्तावेजीकरण भी करेगी। विश्लेषण के आधार पर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक निवारक उपाय के लिए कार्यवाही शुरू की जायेगी।	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम एनडीएमजी–वि0अ0अ0
02	यदि डाटा सेन्टर सेवाओं पर हमला होता है या प्रभावित होता है तो आपदा रिकवरी डेटा सेन्टर से सेवायें आरपीटी (रिकवरी प्वाइंट ऑबजेक्ट) और आरटीओ (रिकवरी टाइम ऑबजेक्ट) के अनुसार शुरू की जायेगी।	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम एनडीएमजी–वि0अ0अ0
03	सिस्टम सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर से एप्लिकेशन साफ्टवेयर सेट करके डेटा सेंटर की सेवाओं को पुर्नस्थापित किया जायेगा।	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम एनडीएमजी–वि0अ0अ0
04	यदि उपयोगकर्ता के सिस्टम पर हमला/प्रभावित होता है तो सिस्टम को आवश्यक साफ्टवेयर की मदद से क्लीन करके पुनः कॉनफिगेरेशन किया जायेगा।	सीडीएमजी–सीआईएसओ/ आईएसएमएस टीम एनडीएमजी–वि0अ0अ0

छ0 बज्रपात आपदा हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

छ0 1 आपदा पूर्व

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	मौजूदा लाइटिंग एरेस्टोर्स और केबल/कंडक्टर जो वज्रपाती विद्युत को रॉड से जमीन में ले जाते हैं के पूर्वजांच एवं रख–रखाव हेतु स्पेशलाईज्ड एजेंसी को ए.एम.सी. दिया जाना।	सीडीएमजी – जी.एम. (एच.आर.) एनडीएमजी –वि.अ.अ., वि.का.अ., स.वि.अ.
02	लाइटनिंग खत्म होने तक सभी कर्मी भवन/मकान के अन्दर रहेंगे। जब सुरक्षित स्थित हो जाए तब बाहर निकलें।	सीडीएमजी – जी.एम. (एच.आर.) एनडीएमजी – वि.अ.अ., वि.का.अ., स.वि.अ.
03	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के लाइटनिंग एप को डाउनलोड करना एवं अलर्ट के अनुसार सुरक्षा नियमों का पालन करना।	सीडीएमजी –मुख्य अभि0 (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी –वि.अ.अ., वि.का.अ., स.वि.अ.

छ0 2 आपदा के दौरान :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	लगातार बिजली चमकने की अवस्था में विद्युत की आपूर्ति के लिए संचरण लाईनों पर निरन्तर निगरानी रखना होगा।	एनडीएमजी –वि.अ.अ., वि.का.अ., स.वि.अ.

छ0 3 आपदा के बाद :

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	आपदा विश्लेषण एवं क्षति का आंकलन करें।	एनडीएमजी –वि.अ.अ., वि.का.अ., स.वि.अ.
02	नेटवर्क को मजबूत करें।	एनडीएमजी –वि.अ.अ., वि.का.अ., स.वि.अ.
03	जमीनी स्तर पर पुनर्स्थापन कार्यों को संचालित एवं निगरानी करें।	एनडीएमजी –वि.अ.अ., वि.का.अ., स.वि.अ.
04	प्रदर्शन मापदण्डों की समीक्षा करें।	एनडीएमजी –वि.अ.अ., वि.का.अ., स.वि.अ.
05	खर्चों का विश्लेषण करना एवं वित्त रिपोर्ट तैयार करना	सीडीएमजी –मुख्य अभि0 (ओ. एण्ड एम.) जी.एम. (वि. एवं ले.) एनडीएमजी –वि.अ.अ., वि.का.अ., स.वि.अ.

ज. सूखाड़/लू आपदा हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

ज. 1 : आपदा पूर्व

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति विद्युत संरचना और जी.एस.एस. जैसे प्रतिष्ठानों में जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था करना।	सीडीएमजी–मुख्य अभि0 (असै0), मुख्य अभि0(ओ एण्ड एम) एनडीएमजी–वि0अ0अ0
02	गर्मी के माविद्युत संरचना और जी.एस.एस. में अर्थिंग सिस्टम का उचित रख–रखाव सुनिश्चित करें।	सीडीएमजी– मुख्य अभि0 (ओ एण्ड एम) एनडीएमजी–वि0अ0अ0
03	जी.एस.एस. में ट्रांसफार्मर शीतल करने की व्यवस्था करना।	एनडीएमजी –वि.अ.अ.

ज. 2 : आपदा के दौरान

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	प्रभावित जगहों पर चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति एवं उसके रख–रखाव सुनिश्चित करना।	सीडीएमजी– मुख्य अभि0(ओ एण्ड एम) एनडीएमजी–वि0अ0अ0
02	विद्युत संरचना और जी.एस.एस. अर्थिंग सुनिश्चित करने हेतु नियमित अंतराल में जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था करना।	सीडीएमजी –मुख्य अभि0 (ओ. एण्ड एम.) एनडीएमजी –वि.अ.अ.

ज. 3 : आपदा के बाद

क्रम सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी
01	आपदा विश्लेषण और क्षति का आंकलन करें	सीडीएमजी –मुख्य अभि0 (ओ. एण्ड एम.) मुख्य अभि0 (असै.), जी.एम. (एच.आर.) एनडीएमजी –वि.अ.अ., वि.का.अ.
02	जमीनी स्तर पर पुनर्स्थापन कार्यों का संचालन एवं निगरानी करें।	सीडीएमजी–मुख्य अभि0 (ओ एण्ड एम) एनडीएमजी–वि0अ0अ0, वि0का0अ0

Contact List

Apex Disaster Management Group (ADMG):

Designation	Contact Number
CHAIRMAN-CUM-MD, BSPHCL	0612 - 250 4036
Managing Director, BSPTCL	0612 - 250 4442
Director (Project)	776 381 7709
Director (Operation)	926 447 7220

Central Disaster Management Group (CDMG):

Sl.No.	Designation	Contact No.
01	Chief Engineer (System Operation)	776 381 7705
02	Chief Engineer (O&M)	776 381 7718
03	Chief Engineer (P&E)	926 279 1378
04	Chief Engineer (Civil)	709 109 7884, 776 381 7702
05	GM (HR & Adm.)	776 381 7975
06	DGM (HR & Adm.)	776 381 8077
07	GM-Cum-CE, Patna Zone	776 381 7733
08	GM-Cum-CE, Muzaffarpur Zone	776 381 7707
09	GM-Cum-CE, Bhagalpur Zone	776 381 7704
10	SLDC, Patna	776 381 8083, 776 381 8086

Nodal Disaster Management Group (NMDG)

Sl.No.	Designation	Place of posting	Contact No.
01	ESE	Transmission Circle Patna (East)	776 381 7755
02	ESE	Transmission Circle Patna (West)	776 381 7714
03	ESE	Transmission Circle Gaya	776 381 7719
04	ESE	Transmission Circle Biharsharif	776 381 7715
05	ESE	Transmission Circle Dehri On Sone	776 381 7726
06	ESE	Transmission Circle Purnea	776 381 7710
07	ESE	Transmission Circle Muzaffarpur	776 381 7711
08	ESE	Transmission Circle Vaishali	754 180 6060
09	ESE	Transmission Circle Bhagalpur	776 381 7712
10	ESE	Transmission Circle Koshi	776 381 7710
11	ESE	Transmission Circle Saran	754 180 6060
12	ESE	Transmission Circle Motihari	776 381 7711
13	ESE	Transmission Circle Begusarai	776 381 7712
14	ESE	Transmission Circle Bhojpur	776 381 7726
15	ESE	Transmission Circle Darbhanga	776 381 7711
16	EEE	Transmission Division Hajipur	776 381 7739
17	EEE	Transmission Division Patna (East)	776 381 7754
18	EEE	Transmission Division Barh	926 444 7549
19	EEE	Transmission Division Patna (West)	754 293 0943
20	EEE	Transmission Division Patna (Central)	754 293 0943
21	EEE	Transmission Division Gaya	776 381 7763
22	EEE	Transmission Division Jehanabad	703 329 8251
23	EEE	Transmission Division Biharsharif	776 381 7760
24	EEE	Transmission Division Dehri On Sone	776 381 7757

Sl.No.	Designation	Place of posting	Contact No.
25	EEE	Transmission Division Ara	776 381 7758
26	EEE	Transmission Division Mohania	926 444 0618
27	EEE	Transmission Division Purnea	776 381 7744
28	EEE	Transmission Division Kishanganj	995 532 9763
29	EEE	Transmission Division Muzaffarpur	776 381 7738
30	EEE	Transmission Division Bettiah	776 381 7738
31	EEE	Transmission Division Sitamarhi	926 259 4661
32	EEE	Transmission Division Madhepura	926 259 4672
33	EEE	Transmission Division Motihari	776 381 7741
34	EEE	Transmission Division Darbhanga	926 259 4668
35	EEE	Transmission Division Birpur	776 381 7747
36	EEE	Transmission Division Chapra	926 259 4665
37	EEE	Transmission Division Samastipur	776 381 7740
38	EEE	Transmission Division Bhagalpur	776 381 7748
39	EEE	Transmission Division Begusarai	776 381 7745
40	EEE	Transmission Division Munger	776 381 7761
41	EEE	Transmission Division Gopalganj	926 259 4663
42	AEE	GSS Hajipur	776 381 7792
43	AEE-1	GSS Hajipur (220 KV)	776 381 7792
44	AEE-2	GSS Hajipur (220 KV)	926 2991 469
45	AEE	GSS Vaishali	776 381 7863
46	AEE	GSS Jandaha	703 309 8009
47	AEE	GSS Mahnar	763 509 2506
48	AEE	GSS Katra	776 381 7852

Sl.No.	Designation	Place of posting	Contact No.
49	AEE-1	GSS Gaurichak (220 KV)	776 381 7884
50	AEE-2	GSS Gaurichak (220 KV)	776 381 7962
51	AEE	GSS Masurhi	776 381 7853
52	AEE	GSS Gaighat	776 381 7816
53	AEE	GSS Mithapur	776 381 7851
54	AEE	GSS Barh	776 381 7866
55	AEE	GSS Hathidah	776 381 7947
56	AEE-1	GSS Fatuha (220 KV)	776 381 7814
57	AEE-2	GSS Fatuha (220 KV)	926 444 7554
58	AEE	GSS Jakkanpur	776 381 7813
59	AEE	GSS Khagaul (220 KV)	776 381 7815
60	AEE	GSS Karbigahia	776 381 7885
61	AEE	GSS Digha (220 KV)	754 202 8117
62	AEE-1	GSS Bihta (220 KV)	776 381 7827
63	AEE-2	GSS Bihta (220 KV)	926 444 7574
64	AEE	GSS Bihta	776 381 7865
65	AEE	GSS Chandauti	703 309 1489
66	AEE	GSS Belaganj	703 309 1483
67	AEE	GSS Tekari	776 381 7868
68	AEE	GSS Bodhgaya (220 KV)	776 381 7835
69	AEE	GSS Sherghati	703 309 1484
70	AEE	GSS Wazirganj	776 381 7877
71	AEE	GSS Imamganj	703 309 1488
72	AEE	GSS Rafiganj	776 381 7868

Sl.No.	Designation	Place of posting	Contact No.
73	AEE	GSS Sonenagar	776 381 7820
74	AEE	GSS Goh	776 381 7880
75	AEE	GSS Aurangabad	776 381 7859
76	AEE	GSS Sonenagar (220 KV)	709 109 7881
77	AEE	GSS Tehta	703 309 1487
78	AEE	GSS Jehanabad	776 381 7834
79	AEE	GSS Hulasganj	703 309 1490
80	AEE	GSS Ataula	703 309 1486
81	AEE	GSS Biharsharif (220 KV)	776 381 7825
82	AEE	GSS Bari Pahari	703 309 8052
83	AEE	GSS Rajgir	776 381 7826
84	AEE	GSS Sheikhpura	776 381 7949
85	AEE	GSS Harnaut	776 381 7879
86	AEE	GSS Nalanda	776 381 7950
87	AEE	GSS Ekangarsarai	754 180 6081
88	AEE	GSS Nawada	776 381 7833
89	AEE	GSS Dehri On Sone (220 KV)	776 381 7818
90	AEE	GSS Banjari	776 381 7819
91	AEE	GSS Bikaramganj	776 381 7881
92	AEE	GSS Sasaram	776 381 7857
93	AEE	GSS Kerpa (U/C)	829 241 7172
94	AEE	GSS Kochas	703 309 8050
95	AEE	GSS Kudra	709 109 7892
96	AEE	GSS Pusauli (220 KV)	776 381 7886

Sl.No.	Designation	Place of posting	Contact No.
97	AEE	GSS Mohania	776 381 7856
98	AEE	GSS Bhabhua	926 259 4671
99	AEE	GSS Karamnasa (220 KV)	776 381 7945
100	AEE	GSS Ramgarh	799 237 2439
101	AEE	GSS Ara	776 381 7822
102	AEE	GSS Jagdishpur	776 381 7878
103	AEE	GSS Piro	926 447 7211
104	AEE	GSS Buxar	776 381 7856
105	AEE	GSS Dumraon	776 381 7823
106	AEE	GSS Purnea	776 381 7802
107	AEE	GSS Katihar	776 381 7803
108	AEE	GSS New Kishenganj	703 309 8041
109	AEE	GSS Manihari	754 180 6073
110	AEE	GSS Forebisganj	776 381 7850
111	AEE	GSS Banmankhi	763 299 5391
112	AEE	GSS Damdhaha	763 299 5392
113	AEE	GSS Muzaffarpur	776 381 7790
114	AEE	GSS Skmch	776 381 7871
115	AEE	GSS Motipur (220 KV)	776 580 3933
116	AEE	GSS Mushahari (220 KV)	926 259 4690
117	AEE	GSS Sitamarhi	776 381 7791
118	AEE	GSS Belsand	736 902 1536
119	AEE	GSS Runnisaidpur	776 381 7875
120	AEE	GSS Pupari	754 180 6040

Sl.No.	Designation	Place of posting	Contact No.
121	AEE	GSS Sultanganj	776 381 7809
122	AEE	GSS Kahalgaon	776 381 7810
123	AEE	GSS Nathnagar	926 299 1472
124	AEE	GSS Banka (New)	776 381 7858
125	AEE	GSS Banka	914 089 7508
126	AEE	GSS Naugachia	776 381 7805
127	AEE	GSS Begusarai (220 KV)	754 202 9250
128	AEE	GSS Balia	754 180 6082
129	AEE	GSS Manjhaul	754 180 6065
130	AEE	GSS Teghra	821 056 9908
131	AEE	GSS Khagaria	776 381 7806
132	AEE	GSS Khagaria (220 KV)	969 322 7611
133	AEE	GSS Bakhri	926 444 0630
134	AEE	GSS Jamalpur	709 109 7899
135	AEE	GSS Tarapur	754 180 6037
136	AEE	GSS Jamui	776 381 7829
137	AEE	GSS Jamui (New)	926 444 7559
138	AEE	GSS Lakhisarai	776 381 7828
139	AEE	GSS Samastipur	776 381 7798
140	AEE	GSS Dalsinghsarai	776 381 7874
141	AEE	GSS Samastipur(220 KV)	754 180 6051
142	AEE	GSS Rosara	700 477 2146
143	AEE	GSS Shahpur Patory	754 180 6087
144	AEE	GSS Warsaliganj	776 381 7833

Sl.No.	Designation	Place of posting	Contact No.
145	AEE	GSS Kishanganj (220 KV)	776 381 7848
146	AEE	GSS Barsoi	754 180 6073
147	AEE	GSS Baisi	776 381 7848
148	AEE	GSS Sabour	776 381 7810
149	AEE	GSS Motihari	776 381 7867
150	AEE	GSS Bettiah	703 309 8010
151	AEE	GSS Ramnagar	776 381 7797
152	AEE	GSS Dhaka	776 381 7796
153	AEE	GSS Raxaul (220 KV)	776 381 7870
154	AEE	GSS Thakrahan	703 309 8011
155	AEE	GSS Narkatiyaganj	754 180 6044
156	AEE	GSS Areraj	776 381 7913
157	AEE	GSS Pakridayal	754 180 6030
158	AEE	GSS Chakiya	926 259 4674
159	AEE	GSS Darbhanga	776 381 7800
160	AEE	GSS Darbhanga (220 KV)	776 381 7862
161	AEE	GSS Gangwara	703 309 8007
162	AEE	GSS Kusheshwar Sthan	703 309 8008
163	AEE	GSS Pandoul	776 381 7799
164	AEE	GSS Jaynagar	776 381 7864
165	AEE	GSS Phulparas	776 381 7855
166	AEE	GSS Madhubani	880 990 5900
167	AEE	GSS Laukahi (220 KV)	943 085 9394
168	AEE	GSS Saharsa	776 381 7804

Sl.No.	Designation	Place of posting	Contact No.
169	AEE	GSS Supaul	776 381 7845
170	AEE	GSS Udakishanganj	776 381 7854
171	AEE	GSS Kataiya	776 381 7849
172	AEE	GSS Triveniganj	754 180 6035
173	AEE	GSS Sonebarsa	703 309 8032
174	AEE	GSS Madhepura (220 KV)	776 381 7883
175	AEE	GSS Simri Bhakhtiyarpur	703 309 8042
176	AEE	GSS Chapra	776 381 7996
177	AEE	GSS Ekma	776 381 7882
178	AEE	GSS Masarakh	776 381 7873
179	AEE	GSS Gopalganj (220 KV)	776 381 7861

External Contact List

Sl.No.	Organization	Contact No.
01	India Meteorological Department, Patna	0612-2222840 Ext.292 0612-2222840 Ext.110 0612-2222785
02	Labour Commissioner, Patna	0612-2215559
03	Bihar Pollution Control Board, Patna	2261776, 2261709, 2261250
04	Control Room, Bihar State disaster management , Patna	91-612-2294204, 2294205
05	Control Room, Police Head Quarter Patna	0612-2201975 / 2201977
06	Control Room, Patna Municipal Corporation	0612-2200634 / 3054108
07	Control Room, Fire & Emergency System Patna	0612-2222223 / 101
08	SLDC control Room Patna	7763818083 / 84
09	ERLDC, Kolkata	24235265, 24235874

Contact No. of DM/SSP/SP

Sl.No.	Name of District	STD Code	Telephone Number			
			D.M.		S.S.P./S.P.	
			(O)	(R)	(O)	(R)
01	Patna	612	2219545	2219097	2219745	2320047
02	Nalanda	6112	235203	235204	235207	235206
03	Bhojpur	6182	221312	223311	221320	223302
04	Buxar	6183	222336	222335	222030	222375
05	Rohtas	6184	222226	222224	253204	253205
06	Kaimur	6189	223241	223250	223211	223672
07	Gaya	631	2222900	2222800	2420003	2420004
08	Jehanabad	06114	223072	223001	223108	223110
09	Nawada	06324	212253	212240	212263	
10	Aurangabad	6186	223167	223168	222200	222201
11	Arwal	6337	228994	228995	228639	
12	Saran	6152	240001	240002	222306	222307
13	Siwan	6154	242099	242098	242060	242366
14	Gopalganj	6156	226001	226002	224669	224668
15	Muzaffarpur	621	2212101	2212105	2217797	2212109
16	Sitamarhi	6226	250439	250405	250526	250421
17	Vaishali	6224	272201	272503	272318	272307
18	E.Champaran (Motihari)	6252	242700	242800	232684	232683
19	W.Champaran (Bettiah)	6254	242534	232535	232563	232886
20	Sheohar	6222	257263	257360	257342	257344
21	Samastipur	6274	222300	222301	222034	222350
22	Madhubani	6276	222217	222218	223486	223466
23	Darbhanga	6272	240200	240300	245382	245800
24	Saharsa	6478	224102	223601	224556	225554

Contact No. of DM/SSP/SP

Sl.No.	Name of District	STD Code	Telephone Number			
			D.M.		S.S.P./S.P.	
			(O)	(R)	(O)	(R)
25	Supaul	6473	223112	223111	223061	223121
26	Madhepura	6476	222741	222742	222004	222743
27	Purnia	6454	240001	240002	242508	242502
28	Araria	6453	222001	222102	222050	222075
29	Kishanganj	6456	222530	222246	222338	222438
30	Katihar	6452	230581	230583	230601	230602
31	Bhagalpur	641	2402200	2402300	2401003	2401003
32	Banka	6424	222304	222303	222306	222305
33	Begusarai	6243	222285	230584	213015	200519
34	Munger	6344	221001	221002	2220406	222405
35	Jamui	6345	222002	222001	222302	222301
36	Khagaria	6244	222135	222134	222086	222053
37	Lakhisarai	6346	232124	232490	232707	232705
38	Seikhpura	6341	223041	223001	223347	

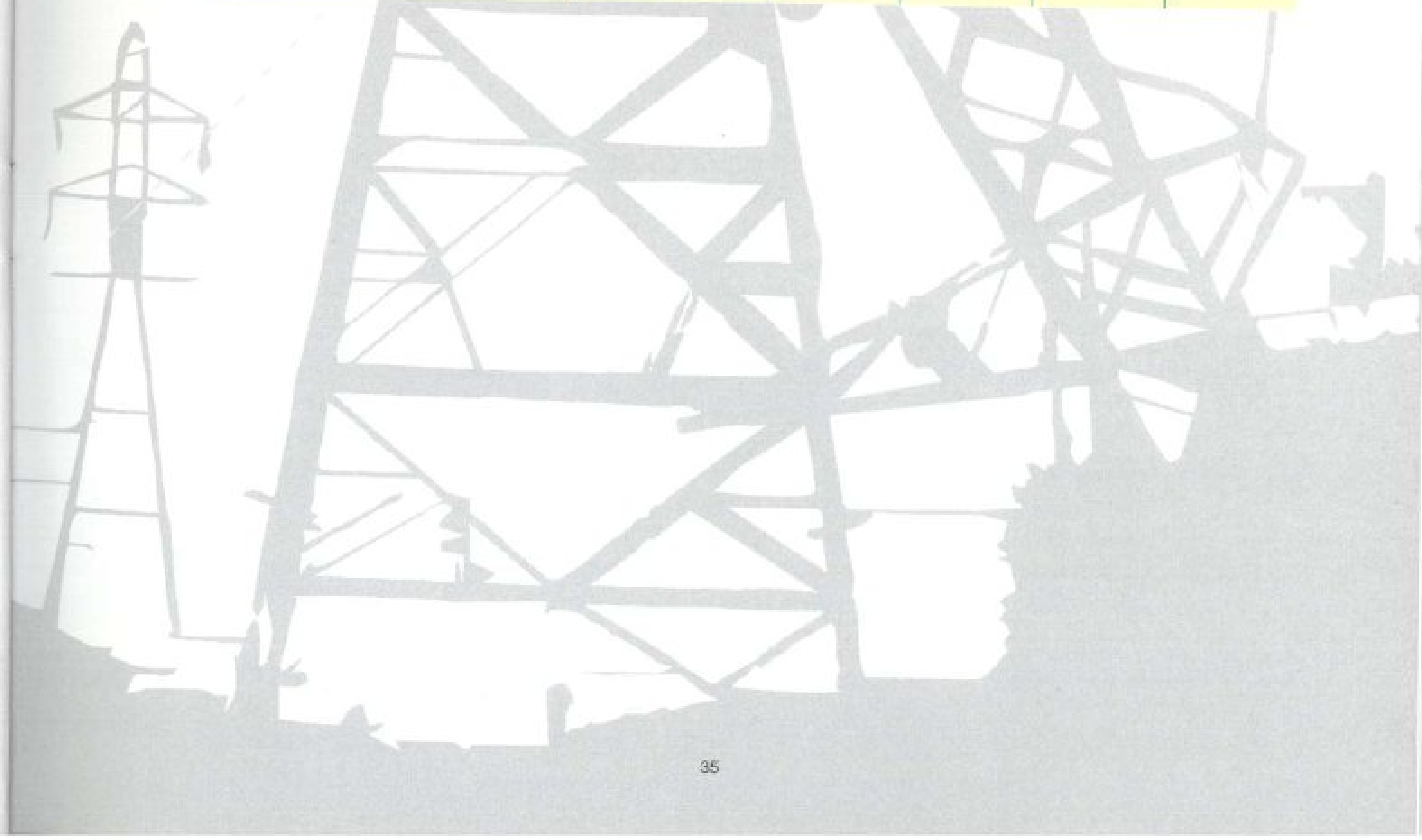

Notes

Notes

BIHAR STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LTD.

Vidyut Bhawan, Jawaharlal Nehru Marg, Patna - 800 021

www.bsptcl.in

हमारा आधार... ऊर्जस्वित बिहार